स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी | इसके लिए क्या करना होगा

विमला रामचन्द्रन

भारत में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन को शुरू हुए आठ महीने से अधिक हो चुके हैं। बच्चों के जीवन पर वैश्विक महामारी और लॉकडाउन के प्रभाव के बारे में रिपोर्टें सामने आई हैं। जून और जुलाई 2020 में ज़मीनी स्तर की स्थिति के साथ-साथ बच्चों पर इसके प्रभाव पर कई रिपोर्टें प्रकाशित की गईं। जैसे कि शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतकों पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) का 75 वाँ दौर (एनएसएसओ, जीओआई, नवम्बर 2019, जुलाई 2020 में प्रकाशित) [i], निजी स्कूलों पर सेंट्रल स्क्वायर फ़ाउण्डेशन की रिपोर्ट (सीएसएफ, नई दिल्ली, जुलाई 2020) [ii]: सेव द चिल्ड्रन (इंडिया) की वैश्विक महामारी के बाद की स्थिति पर रिपोर्ट (एससी इंडिया, जून 2020), यंग वॉयसेस - विवाह की आयु की जाँच करने वाले टास्क फोर्स की राष्ट्रीय रिपोर्ट (सीडब्ल्यूसी, बेंगलूरु, जुलाई 2020) [iii] और ग़रीबों, विशेषकर शिक्षकों और बच्चों पर लॉकडाउन के प्रभाव पर अख़बार की कई रिपोर्टें और लेख। ये सभी एक ऐसी स्थिति की ओर ध्यान दिलाते हैं जो न केवल गम्भीर है, बल्कि जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

कुछ तथ्य

माध्यमिक डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल विद्यार्थियों का 50 प्रतिशत निजी रूप से प्रबन्धित स्कूलों (यूडीआईएसई या यूडाइस 2019, सीएसएफ 2020 में उल्लिखित) में नामांकित हैं। आर्थिक संकट, बेरोज़गारी, रिवर्स माइग्रेशन के बढ़ते प्रमाणों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता को स्कूल की फीस देने में मुश्किल हो सकती है। इससे हो सकता है कि उनके बच्चों के सामने ड्रॉप-आउट होने का ख़तरा पैदा हो या फिर वे उन्हें सरकारी स्कूलों में स्थानान्तरित करने की कोशिश कर सकते हैं। पता नहीं कि राज्य सरकारें नामांकन में इस प्रकार की वृद्धि के लिए तैयार हैं या नहीं। *सेव द चिल्ड्रन (इंडिया)* द्वारा 7,235 परिवारों के हालिया रैपिड सर्वेक्षण में पाया गया कि 62 प्रतिशत परिवारों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाला, विशेषकर निजी स्कूलों से। 'मूल्यांकन में पाया गया कि सर्वेक्षण किए गए परिवारों में से तीन बटा पाँच (62%) परिवारों के बच्चों की शिक्षा में रुकावट आई, जिनमें उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या यानी 64 प्रतिशत और दक्षिण भारत में सबसे कम यानी 48 प्रतिशत दर्ज की गई।' [iv]

इस जानकारी के प्रभाव काफ़ी गम्भीर हैं जैसे कि जिन बच्चों को निजी स्कूलों से निकाल लिया गया है, वे या तो सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की कोशिश करेंगे या फिर शायद स्कूल जाना बन्द कर दें। विवाह की आयु पर महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी), भारत सरकार द्वारा कमीशन की गई टास्क फोर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि माध्यमिक विद्यालयों की किशोरियों को इस बात का डर है कि उनका स्कूल जाना छुड़वा दिया जाएगा। या तो उनकी शादी कर दी जाएगी या परिवार के भरण-पोषण के लिए उनसे मज़दूरी करवाई जाएगी। कई लड़कों पर भी यह बात लागू होगी, जिनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वे पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए काम करें। दुर्भाग्य से, स्कूल में उन्हें मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता और सार्थक प्रशिक्षण के अवसरों की कमी की स्थिति को देखते हुए, ये युवा अकुशल श्रमिकों का कार्य करने पर बाध्य हैं।

एक सम्भावित रणनीति के रूप में ऑनलाइन शिक्षा पर इतना अधिक ज़ोर दिया जा रहा है कि प्रशासक व राजनीतिक नेता इस तथ्य से मुँह मोड़ रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा केवल एक असम्भव सपना है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि *यह शिक्षण का निष्क्रिय तरीक़ा है,* ख़ासकर तब जब इसका प्रयोग एकतरफा रूप में किया जाता है जिसमें अन्तःक्रिया की बहुत कम गुंजाइश होती है। *व्हाट्सएप* के माध्यम से पाठ भेजने वाली बात तो क्रूरतम मज़ाक है! सीएसएफ की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि 'सर्वेक्षण में शामिल 66 प्रतिशत से अधिक निजी स्कूलों ने को शिक्षा देने के तरीक़े के रूप में अपनाया है...'(पृ.19, सीएसएफ 2020)। '2017-18 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में बताया गया है कि केवल 23.8 प्रतिशत भारतीय परिवारों को इंटरनेट उपलब्ध था। ग्रामीण परिवारों में (जनसंख्या का 66%), केवल 14.9 प्रतिशत और शहरी परिवारों में केवल 42 प्रतिशत परिवारों को इंटरनेट उपलब्ध था। और पुरुष इसके प्राथमिक उपयोगकर्ता हैं : 36 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 16 प्रतिशत महिलाओं की पहुँच मोबाइल इंटरनेट तक थी। छोटे बच्चों की पहुँच तो और भी कम है : हाल ही में आई एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया कि केवल 12.5 प्रतिशत विद्यार्थियों के पास ही स्मार्टफ़ोन का उपयोग करने की सुविधा थी। इसके अलावा, अधिकांश

शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण सम्बन्धित आवश्यक बातों की जानकारी नहीं है...'(उर्वशी साहनी, 2020)।

साथ ही यह तथ्य भी महत्त्वपूर्ण है कि अधिकांश अभिभावकों को डिजिटल शिक्षा और वन-टु-वन इंटरैक्टिव शैक्षिक प्रक्रियाओं (निजी ट्यूशन सहित) में अपने बच्चों की मदद करने में मुश्किल पेश आ सकती है। सीएसएफ (2020)

सर्वेक्षण में पाया गया कि केवल 33 प्रतिशत माता-पिता ने कहा कि वे अपने बच्चों की डिजिटल शिक्षा में मदद कर सकते हैं।

विचारणीय बिन्दु

- ग़रीब परिवारों के बच्चों पर वैश्विक महामारी और उससे उपजे संकट के क्या प्रभाव हैं?
- क्या हम एक समाज के रूप में, सरकार के रूप में और शिक्षकों के रूप में सही सवाल पूछ रहे हैं?
- क्या हम ज़मीनी स्तर पर हक़ीक़त को देखकर उसके अनुसार निर्णय ले रहे हैं?
- या हम अपने बच्चों की ज़रूरतों के बारे में ईमानदारी या गम्भीरता से सोचने की बजाय सिर्फ समाधान गिना रहे हैं?

कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन ने न केवल ग़रीबी और शैक्षिक असमानता से सम्बन्धित मुद्दों को और जटिल बनाया है, बल्कि इसने बड़ी संख्या में ग़रीबों और निम्न मध्य वर्ग को एक अनिश्चितता की स्थिति में धकेल दिया है। निजी (कम-लागत वाले) स्कूल जो फीस पर निर्भर हैं, उनके बन्द होने का ख़तरा है। अनुबन्धित शिक्षकों और कम लागत वाले निजी स्कूलों में काम करने वालों को वेतन नहीं दिया गया है। ऑनलाइन शिक्षा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के अधिकांश बच्चों की पहुँच से बाहर है।

परेशानी वाली एक बात यह भी है कि इस पर बहुत कम चर्चा या गम्भीर राष्ट्रीय बहस हो रही है कि शिक्षा और सीखने-सिखाने के मुद्दे को सम्बोधित करने के लिए क्या किया जा सकता है। ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा उन्हें मिल रही है जो पहले से ही बेहतर हालत में हैं और ग़रीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। आज जिस ऑनलाइन सम्प्रेषण को शिक्षा की संज्ञा दी जा रही है, उसकी निष्क्रियता (और यहाँ तक कि हानिकारक प्रभावों) के बारे में इतने सारे शिक्षकों और शिक्षाविदों की चेतावनी के बावजूद, सरकारें और कई कॉर्पोरेट समर्थक कोविड-19 लॉकडाउन के समय में एकमात्र समाधान के रूप में ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में ही बात कर रहे हैं।

वैकल्पिक दृष्टिकोण

एक और ऐसा विचार या दृष्टिकोण है जिस पर सोचना आवश्यक है। 2019 की शुरुआत में मुझे कुछ ऐसे ग़ैर-सरकारी संगठनों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला, जो मध्य प्रदेश, झारखण्ड और राजस्थान में *ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया इनिशिएटिव* का हिस्सा हैं। मुझे कर्नाटक और ओडिशा के सरकारी स्कूलों के साथ काम करने वाले ग़ैर-सरकारी संगठनों के साथ बातचीत करने का अवसर भी मिला है। सरकारी स्कूलों में युवतियों, लड़कियों और शिक्षकों के साथ काम करने वाले ग़ैर-सरकारी संगठनों ने, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हों या शहरी क्षेत्रों में, कई गम्भीर मुद्दों पर प्रकाश डाला है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

1. शिक्षक रिक्तियाँ, विशेष रूप से गणित, विज्ञान और अँग्रेज़ी विषयों में।
2. स्कूल के शिक्षकों की स्थिति, विशेष रूप से अनुबन्धित शिक्षकों की। उदाहरण के लिए, झारखण्ड में 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षक अनुबन्धित हैं। [v]
3. अधिगम के असन्तोषजनक परिणाम और शिक्षकों ने इसे सुधारने में अपनी विवशता व्यक्त की।
4. अप्रभावी शैक्षिक प्रशासन जो स्कूलों को अपने हाल पर छोड़ देता है कि उनके पास जो कुछ है उसी से काम चलाएँ (शिक्षक की कमी सहित)।
5. पाठ्यक्रम पूरा करने का दबाव, चाहे यथार्थ स्थिति कुछ भी हो।

जहाँ भी सरकारी स्कूलों के साथ काम करने वाले ग़ैर-सरकारी संगठन और अन्य समूह समुदाय को सक्रिय करने में सक्षम हुए, वहाँ स्कूल के माहौल में बहुत सुधार हुआ है।

यह वैश्विक महामारी और लॉकडाउन से पहले का फीडबैक था। तब की तुलना में अब यथार्थ स्थिति बदल गई है और विद्यार्थियों, शिक्षकों और परिवारों को आजीविका, प्रवास और अलगाव से सम्बन्धित गम्भीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

हम कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान क्या कर सकते हैं? क्या ऐसी रणनीतियाँ हैं जिन्हें हम अपना सकें और जो हमें समानुभूति और दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देने में मदद कर सकें? मैंने ग़ैर-सरकारी संगठनों में और सरकारी स्कूलों के साथ ज़िला-आधारित पहल में ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कई लोगों से बात की। ये कुछ ऐसे ठोस सुझाव हैं जो बातचीत के दौरान सामने आए।

कुछ सुझाव

स्थिति का आकलन

शाला प्रमुखों, शिक्षकों, प्रशासकों, समुदाय के प्रमुखों और स्थानीय ग़ैर-सरकारी संगठनों के सुगमकर्ताओं को साथ मिलकर अपने क्षेत्रों/समुदायों पर होने वाले वैश्विक महामारी के विशिष्ट प्रभावों पर चर्चा करनी चाहिए। प्रत्येक पंचायत और वार्ड में निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाने चाहिए : जब सरकारी स्कूलों में फिर से पढ़ाई शुरू हो जाएगी तो क्या वहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी? क्या इसमें रिवर्स माइग्रेंट्स (वापिस लौटे प्रवासियों के बच्चे) शामिल होंगे? या इसमें वे बच्चे होंगे जो निजी स्कूलों में अपनी पढ़ाई जारी रखने में सक्षम नहीं हैं? उन बच्चों की संख्या का मोटा-मोटा अनुमान क्या है जिन्हें या तो पूरी तरह से ड्रॉप-आउट हो जाने ख़तरा है या फिर वे सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने के बारे में विचार कर रहे हैं?

बच्चों के सम्बन्ध में और नामांकन में बढ़ोतरी की स्थिति का आकलन करने के लिए सीआरसी, शाला प्रमुखों, शिक्षकों, सक्रिय एसएमसी सदस्यों और पंचायत/शहरी निकायों की बैठकें की जा सकती हैं। हालाँकि कोविड-19 के दौरान घर-घर सर्वेक्षण के लिए जाना मुश्किल हो सकता है, पर इस समूह में यथार्थ स्थिति का मूल्यांकन करने की क्षमता होगी। द इंडिया एजुकेशन कलेक्टिव और प्रजायत्न दो ऐसे ग़ैर-सरकारी संगठन हैं जो कई राज्यों के सरकारी स्कूलों के साथ काम करते हैं। वे इस रणनीति का इस्तेमाल न केवल ज़मीनी स्तर की हक़ीक़तों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, बल्कि मुख्य हितधारकों को जागरूक करने और उन्हें शामिल करने के साधन के रूप में भी कर रहे हैं।

हजारों गाँवों और वार्डों में संक्रमण की घटनाएँ कम हैं और ऐसे क्षेत्रों में, अनुशंसित शारीरिक दूरी/मास्क पहनने/हाथ धोने के मानदण्डों का प्रयोग करके, सर्वेक्षण भी किए जा सकते हैं। यह, अपने आप में, सरकार को समस्या के परिमाण/विस्तार के बारे में एक यथार्थवादी अनुमान देगा। यह प्रक्रिया इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षक, शाला प्रमुख और प्रशासक शायद ही कभी रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आ पाते हों। उन सभी को एक साथ लाना अत्यन्त महत्त्व की बात होगी।

प्राथमिकता देना

जो बच्चे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं और जिन्हें 2021 में दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएँ देनी है, वे कोविड-19 लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और उन्हें अपने सामने उपस्थित तात्कालिक संकट का सामना करना है। ये बच्चे इस बात से बेहद चिन्तित हैं कि वे परीक्षाएँ कैसे देंगे (अग्रगामी संस्था की विद्या दास, ईमेल पत्राचार, 25 जुलाई 2020)। जहाँ आवश्यक हो वहाँ ये बोर्ड परीक्षाएँ, प्रमाणन के लिए आवश्यक प्रमुख अधिगम-प्रतिफलों पर ध्यान केन्द्रित कर सकती हैं। इसे ओपन-बुक परीक्षाओं के माध्यम से भी किया जा सकता है जिसमें स्मरण करने की बजाय बोध तथा बुनियादी अवधारणाओं की समझ पर ध्यान दिया जाता है।

इसके साथ ही, माता-पिता और विद्यार्थियों को सामाजिक-मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक सहायता और परामर्श देने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ माता-पिता अपने बच्चों की मानसिक और/या भावनात्मक दशा और शैक्षिक तैयारी को पर्याप्त रूप से समझे बिना उन पर दबाव डाल सकते हैं।

स्कूल के भीतर

स्कूल एवं समुदाय के मध्य नज़दीकी सम्पर्क व भागीदारी के द्वारा सीखने के नए आयाम खोजे जा सकते हैं तथा स्कूलों को बच्चों और उनके परिवारों के करीब लाया जा सकता है। वैश्विक महामारी ने कई कार्यकर्ताओं, शिक्षाकर्मियों और शिक्षकों को स्कूल के स्वामित्व को फिर से परिभाषित करने का अवसर प्रदान किया है। माता-पिता ज़िम्मेदारी लेने के लिए आगे आए हैं, बड़े बच्चे छोटे बच्चों की शिक्षा में सहायता कर रहे हैं, कुछ शिक्षक और शाला प्रमुख वर्कशीटों और अध्ययन की अन्य सामग्रियों को वितरित करने के लिए माता-पिता की सहायता ले रहे हैं।

स्कूल को अब केवल सरकार के संरक्षण और सम्पत्ति के रूप में नहीं देखा जा रहा है - माता-पिता, स्थानीय समुदाय और युवा वर्ग शिक्षण-अधिगम की कुछ प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए आगे आए हैं। सामुदायिक पुस्तकालय एवं शिक्षण केन्द्र शिक्षकों और शाला प्रमुखों के साथ काम कर रहे हैं। यह आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के एमवी फ़ाउण्डेशन की एक महत्त्वपूर्ण रणनीति रही है। स्पष्ट है कि वैश्विक महामारी के बाद का वातावरण स्कूलों के दरवाज़ों को अधिक खुला और आकर्षक बना सकता है।

मनो-सामाजिक तैयारी

वैश्विक महामारी, जबरन पलायन और आजीविका को खोने के कारण बच्चों तथा बड़ों को बहुत आघात पहुँचा है। शिक्षकों और शाला प्रमुखों को चाहिए कि वे इस आघात, चिन्ता और हताशा के मुद्दों को एक समानुभूतिपूर्ण तरीक़े से सम्बोधित करने के लिए तैयार रहें। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों को ऐसी कार्यशालाओं (15-20 स्कूलों के समूहों में या जहाँ सम्भव हो वहाँ ऑनलाइन चर्चा के द्वारा) का आयोजन करना चाहिए जिनमें शिक्षकों और शाला प्रमुखों को मानसिक रूप तथा भौतिक रूप से अधिक बच्चों के स्वागत के लिए स्कूलों

को तैयार किया जा सके। ऑनलाइन परामर्श और वेबिनार उन क्षेत्रों में भी मदद कर सकते हैं जहाँ अच्छी कनेक्टिविटी है और जहाँ शाला प्रमुख तथा शिक्षक टेक्नॉलॉजी को लेकर सहज हैं। जहाँ ग़ैर-सरकारी संगठनों या सीएसआर कार्यक्रमों का ऐसा नेटवर्क मौजूद है, जो सरकारी स्कूलों के साथ मिलकर काम करता है, वहाँ पर सदस्यगण बच्चों और माता-पिता, अपने क्षेत्र (गाँव या वार्ड) के नए प्रवासियों, शिक्षकों और शाला प्रमुख एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोगों तक पहुँचने का कार्य शुरू कर सकते हैं।

वर्तमान समय की माँग यह भी है कि निजी स्कूलों तक पहुँचा जाए क्योंकि वे भी भारी संकट का सामना कर रहे हैं। कई स्कूल बन्द करने के बारे में भी सोच रहे होंगे। ऐसे स्कूलों से बच्चों की सूची प्राप्त करना और उनके नामांकन की व्यवस्था करना आवश्यक है। शाला प्रमुखों, शिक्षकों स्थानीय प्रशासकों, ग़ैर-सरकारी संगठनों तथा शैक्षिक समूहों में नए विचारों और क्षेत्र-विशिष्ट नवाचारों के लिए लचीलेपन एवं खुलेपन को प्रोत्साहित करने और उनका स्वागत करने की आवश्यकता है।

ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम से कुशलता के साथ निपटना

यह बात भली-भाँति विदित है और स्वीकार भी की जाती है कि टेक्नॉलॉजी फेस-टू-फेस-शिक्षण का कमज़ोर विकल्प है। इसका उपयोग सहायक शिक्षण के रूप में ही किया जाना चाहिए। नियमित शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं के विकल्प के रूप में टेक्नॉलॉजी का उपयोग करने का अर्थ साम्यता के लक्ष्यों के साथ-साथ निष्पादन की गुणवत्ता के साथ भी समझौता करना है।

इस पृष्ठभूमि को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ऑनलाइन अधिगम ने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, उसका जायज़ा गम्भीर रूप से लिया जाए। महँगे प्राइवेट स्कूल इंटरएक्टिव टूल्स का उपयोग करने में सक्षम हैं, लेकिन अधिकांश कम सम्पन्न स्कूलों ने बच्चों के साथ एकतरफा, निष्क्रिय सम्प्रेषण का सहारा लिया है। यहाँ तक कि कुछ तथाकथित महँगे स्कूलों ने चाक-एंड-टॉक विधि को ही जारी रखा है – अर्थात बच्चों को बस व्याख्यान देना। यहाँ तक कि किंडरगार्टन और कक्षा पहली से तीसरी तक के छोटे बच्चों के साथ भी यही तरीक़ा अपनाया जा रहा है।

छोटे सर्वेक्षणों और अन्तःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिक्रिया से पता चलता है कि ऑनलाइन अधिगम अधिकांश ग़रीब और निम्न-मध्यम वर्ग के ग्रामीण या शहरी बच्चों तक नहीं पहुँचा है। यदि वास्तव में यही स्थिति है तो स्कूल और स्थानीय शैक्षिक ग़ैर-सरकारी संगठन और सीएसआर इकाइयाँ 'वर्कबुक' तैयार करके बच्चों के घरों में उन्हें वितरित कर सकती हैं। *इंडिया एजुकेशन कलेक्टिव* ने यह कोशिश की है, जिसके लिए उन्हें कुछ सकारात्मक अनुक्रिया मिली है। इसके पीछे यह विचार नहीं है कि पाठ्यक्रम को कवर किया जाए, बल्कि इसका उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में संलग्न रखना है। वर्कबुक और कहानी की किताब का मिला-जुला रूप शायद एक आदर्श हो।

छोटे शैक्षिक सत्र और छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटा हुआ पाठ्यक्रम

यह एक वास्तविकता है कि इस शैक्षिक सत्र (2020-21) में भारी कटौती की गई है, इसलिए हमें उपलब्ध समय का उपयोग करने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पाठ्यपुस्तकों में पाठों को बिना सोचे-समझे काटने की बजाय उन मूलभूत कौशलों पर ध्यान देना अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है जो प्रत्येक कक्षा/स्तर के लिए आवश्यक हैं। साथ ही यह भी ज़रूरी है कि बच्चों के साथ छोटे समूहों में काम किया जाए।

ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों का सुझाव है कि निचली कक्षाओं में भाषा और गणित की बुनियादी क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है। उच्च कक्षाओं में विषय के मुख्य विचारों को प्रमुखता दी जा सकती है। जैसे कि भाषा में बोधात्मक पठन को विकसित करना और गणित में समालोचनात्मक व विश्लेषणात्मक सोच, समस्या को सुलझाने की क्षमता और अवधारणात्मक स्पष्टता का विकास करना। अन्य विषयों में इसी तरह के फोकस क्षेत्रों पर काम किया जा सकता है। (रुद्रेश, ईमेल पत्राचार, 26 जुलाई 2020)।

साथ ही वर्कशीट और सतत स्व-आकलन/शिक्षक के आकलन के माध्यम से स्कूल के समय के दौरान विद्यार्थी-अधिगम को बढ़ाना महत्त्वपूर्ण होगा। (राकेश तिवारी, ईमेल पत्राचार, 27 जुलाई 2020)।

भारत के पास त्वरित अधिगम (रामचन्द्रन, 2004, निरन्तर, 1997; बालिका शिक्षण शिविर/महिला शिक्षण केन्द्र के प्रलेखन) और बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा में वापस लाने के लिए अभिनव ब्रिजिंग या सेतु कार्यक्रम बनाने, दूसरा मौक़ा देने जैसे अनेक कार्यक्रमों सम्बन्धी अनुभव का खज़ाना है जिनका प्रयोग ग़ैर-सरकारी और सरकारी स्कूलों एवं केन्द्रों में किया जाता है। शायद अब समय आ गया है कि हम इस तरह की पहलों पर दोबारा ग़ौर करें और बच्चों को औपचारिक स्कूलों और अधिगम की ओर वापस लाने के लिए अच्छे सेतु कार्यक्रमों का निर्माण करें।

भूख, ग़रीबी और बेरोज़गारी में वृद्धि

बढ़ती हुई ग़रीबी और बेरोज़गारी के चलते, भूख और कुपोषण जैसे गम्भीर मुद्दे उभरकर सामने आए हैं, ख़ासकर कुछ क्षेत्रों में। इसके लिए भी एक सूक्ष्म-सन्दर्भ-विशिष्ट आकलन किया

जा सकता है। औपचारिक रूप से स्कूलों के खुलने के पहले मध्याह्न भोजन और स्कूल स्वास्थ्य पहलों की शुरुआत करने में उनकी मदद की जा सकती है। खुराक में पोषक तत्वों की वृद्धि, सुबह के नाश्ते की शुरुआत और पूरी तरह से स्वास्थ्य की जाँच करना ज़रूरी है, ख़ासकर जब बच्चे पहली बार वापस स्कूल आएँ। यह कार्य पैरा-मेडिकल कार्यकर्ताओं और जहाँ सम्भव हो वहाँ डॉक्टरों और पोषण विशेषज्ञों की मदद से दिलचस्प गतिविधियों के माध्यम से किया जा सकता है।

शिक्षकों के लिए समर्थन

अन्तिम किन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षकों को समर्थन की आवश्यकता है। उन्हें अपनी क्षमताओं में हमारे विश्वास की आवश्यकता है। उन्हें वैश्विक महामारी और लॉकडाउन के बाद स्कूल जाने के लिए सम्मान की आवश्यकता है। उन्हें खुद को नए रूप में ढालना होगा और परामर्शदाता, शिक्षक, मार्गदर्शक, अभिभावक जैसी कई भूमिकाएँ निभानी होंगी।

हमें सरकारी स्कूलों में कई और शिक्षकों की आवश्यकता होगी, न केवल बढ़े हुए नामांकन से निपटने के लिए बल्कि उन विभिन्न भूमिकाओं को निभाने के लिए भी जिनकी अपेक्षा शिक्षकों से की जाएगी। त्वरित अधिगम को पचास या साठ के बड़े समूहों में नहीं किया जा सकता है। इस बात के प्रमाण हैं कि जब बच्चों के समूह छोटे होते हैं और वे सीखने के लगभग समान स्तर पर होते हैं, तब त्वरित अधिगम सफल होता है। इसलिए कई और शिक्षकों को भर्ती करने की आवश्यकता होगी। कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन के दौरान अनुबन्धित शिक्षकों को वेतन नहीं दिया है और निजी स्कूलों ने बड़ी संख्या में अपने शिक्षकों को नौकरी से बरख़ास्त कर दिया है (और वे इस इन्तज़ार में हैं कि यदि/जब कभी स्कूल खुलें, तब शायद उन्हें फिर से नौकरी पर रख लिया जाए)। पता चला है कि परिवार का भरण-पोषण करने के लिए कई शिक्षकों ने 'मनरेगा' कार्य या खुदरा माल बेचने का सहारा लिया है। यह एक ऐसा समय है जब शिक्षकों को आशापूर्ण दृष्टि और ऊर्जा के साथ स्कूल वापस आने के लिए समर्थन, प्रोत्साहन और प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

भविष्य के लिए सबक

कोविड-19 वैश्विक महामारी और उससे उपजे संकट ने भारत को एक नई शुरुआत करने व नए सिरे से सोचने का अवसर प्रदान किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) एक खुला और प्रगतिशील दस्तावेज़ है, जो नए दृष्टिकोणों को आज़माने के अवसर प्रदान कर सकता है। साथ ही यह प्रशासकों को इस बात के अवसर भी प्रदान करता है कि वे एक समग्र दृष्टिकोण अपनाएँ और विभिन्न तत्वों पर अलग-अलग रूप से काम न करें। स्कूल की शिक्षा प्रणाली को पुनर्व्यवस्थित और सक्रिय करने के लिए एक भली प्रकार से समन्वित रणनीति की ज़रूरत है।

शायद इन सभी अपेक्षाओं की पूर्ति न हो पाए, लेकिन यह पहचानना महत्त्वपूर्ण है कि शासन-प्रणाली में प्रतिबद्धता की कमी है। लगता है कि हम प्रवाह के साथ जा रहे हैं और कुछ महत्त्वपूर्ण नहीं सोच रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई राज्यों में अत्यधिक प्रतिबद्ध और संवेदनशील प्रशासक हैं। यदि राष्ट्रीय रूप से आमूल परिवर्तन करना एक कठिन कार्य है, तो हम निश्चित रूप से राज्य सरकारों, ज़िला प्रशासन और स्कूल-संकुलों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं ताकि आवश्यक बदलाव लाए जा सकें और हमारी स्कूल प्रणाली को जीवन्त बनाया जा सके।

संस्थाओं आदि के नामों के संक्षिप्त रूप का विवरण

सीआरसी : क्लस्टर रिसोर्स सेंटर (संकुल संसाधन केन्द्र)

सीएसएफ : सेंट्रल स्क्वायर फ़ाउण्डेशन

सीडब्ल्यूसी : कन्सर्न्ड फॉर वर्किंग चिल्ड्रन (एक ग़ैर-लाभकारी संगठन)

डीडब्ल्यूसीडी : डायरेक्ट्रेट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट (महिला एवं बाल विकास निदेशालय)

एनएसएसओ : नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय)

एसएमसी : स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (विद्यालय प्रबन्धन समिति)

यूडीआईएसई या यूडाइस: यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फर्मेशन सिस्टम फ़ॉर एजुकेशन

(एकीकृत ज़िला शिक्षा सूचना प्रणाली)

[i] *Government of India, MOSPI. November 2019. Key indicators of household consumption on education in India – Report no. 75/25.2 – based on NSSO 75th Round done between June 2017-June 2018. New Delhi*

[ii] *Central Square Foundation. July 2020. State of the sector report – Private Schools in India. New Delhi.*

[iii] *Concerned for Working Children. July 2020. Young Voices – National Report of the taskforce (DWCD, GOI) Examining Age of Marriage. Bangalore.*

[iv] *Hindustan Times, 11 July 2020 - https://www.hindustantimes.com/education/children-in-62-surveyed-homes-discontinued-education-amid-pandemic-save-the-children-report/story-rAVQCjfpr7ff7ClP6zpaRP.html*

[v] *The situation was summed up succinctly during interactions with facilitators from NGOs: "The low status of contract teachers, the uncertainty that envelopes their lives, irregular pay and almost no professional/academic support – all together have rendered the school system dysfunctional in many parts of the country..." (Ramachandran, Vimala, February 2020)*

[vi] *Vidya Das from Agragamee Odisha, Javed from Transforming Rural India, Sreeja from India Education Collective, Rudresh, Rakesh Sihori, Rajiv Sharma and Hardy Dewan from APF/APU, Kameshwari Jandhyala from ERU, Ankur Sarin from IIM-A. I am indeed grateful for their concrete suggestions.*



विमला रामचन्द्रन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, (एनआईईपीए), नई दिल्ली में टीचर मैनेजमेंट की प्रोफ़ेसर और नेशनल फेलो रही हैं। वर्तमान में वे ईआरयू कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशिका हैं। उनसे **www.eruindia.org** पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद** : नलिनी रावल